सरकार बनाम पंकज शुक्ला

<u>दिनॉक– 28.6.2017</u>

आज पेश हुआ । मुल्जिमान पंकज शुक्ला व कबिता पाठक की ओर से अलग–अलग हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया राज्य की ओर से भी साक्षी गण पर जमानतीय अधिपत्र तामील होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी किन्तु साक्षी गण उपस्थित नहीं है । इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष पुरामुप्ती हो निर्देशित किया जाता है कि वह नियत दिनॉक 11.7.2017 को साक्षी गण शिवप्रकाश पाठक, नागेश्वरदत्त पाठक व सोमेश्वरदत्त पाठक को साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिपश्चित करें अन्यथा व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर कारण दर्शित करें कि साक्षी गण को न्यायालय में किन परिस्थितियों में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा रहा है । राज्य के विद्वान अधिवक्ता इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को अवगत करावें कि न्यायालय द्वारा जमानतीय अधिपत्र दिये जाने के बाद भी थानाध्यक्ष पुरामुप्ती द्वारा साक्षी गण को न्यायालय में पेश नहीं किया जा रहा है । राज्य के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के आदेश की सूचना पैरोकार के माध्यम से थानाध्यक्ष पुरामुप्ती को कराना सुनिश्चित करें । पत्रावली नियत दिनॉक को शेष साक्ष्य हेतु पेश हो ।

सत्र जज
28.6.2017